बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक-डी०डी०-1-विविध-111/42/2022-23(पार्ट-VI)........ 1462 (अ) पटना, दिनांक 21/2/23

प्रेषक,

राकेश कुमार,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०– 1867/2006 मलिक मजहर सुल्तान एवं अन्य तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य मामले में दिनांक–08.02.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः– सचिव विधि विभाग के पत्रांक के पत्रांक–1271/J दिनांक–14.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०–1867/2006 मलिक मजहर सुल्तान एवं अन्य तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य मामले में दिनांक–08.02.2023 को पारित न्यायादेश की कंडिका 4 के (I) से (V) में 18 मार्च 2023 तक 128.83 करोड़ का 75% खर्च कर भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने तथा अन्य निदेश दिया गया है।

इस परिपेक्ष्य में सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश है कि केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत नव स्वीकृत न्यायिक भवनों के निविदा के शीघ्र निष्पादन हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करें, तथा शीघ्र एकरारनामा कर योजना के क्रियान्वयन में शीघ्र अपेक्षित व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन प्रमण्डलों में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत न्यायिक भवनों का निर्माण कार्य चल रहे है यथा छपरा, अरवल, आरा, भभुआ, अररिया के कार्यपालक अभियंताओ को निदेश है कि उपलब्ध आवंटन को नियमानुसार दो दिनों के अंदर भुगतान कर विभाग को सूचित करें तथा साथ ही आवश्यकतानुसार अविलम्ब आवंटन की माँग करें।

अनु०:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
21/2/23
(राकेश कुमार),
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण
विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1462 (अ) दिनांक– 21/2/23

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित मुख्य अभियंता/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/23
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 1462 (अ) दिनांक– 21/2/23

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अनुलग्नक के साथ अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/2/23
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव